न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 3/2017/एलआर

बालु पिता भीमा बंजारा
निवासी बामनिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत मण्डला चारण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला चारण तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़
दिनांक 16.04.2004 क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6(7)04/629

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक –1

निर्णय दिनांक – 14.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत मण्डला चारण एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा पर मौजा बामनिया की आराजी नम्बर 1 मी 142 मी 208/197/7, 3, 198/145 की आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया व उक्त आदेश के साथ ही आराजी नम्बर 208/197/7 मे से 7 बीघा भूमि को भी चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया। जबकि उक्त आराजीयात मे से अपीलान्ट का 7 बीघा भूमि पर पुराना कब्जा होकर नियमन योग्य कब्जा है एवं अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर नियमित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिसल क्रमांक 700/2011 अतिक्रमण दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 03/10/2011 को अपीलान्ट को विवादित आराजीयात से बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ के न्यायालय मे मिसल क्रमांक 8/2012 दर्ज रजिस्टर की गयी जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/12/2012 को

निरस्त कर दी गयी। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो श्रीमान के न्यायालय मे पूर्व से ही विचाराधीन है व उक्त आराजीयात पर प्रार्थी अपीलान्ट का नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात काबिल काश्त भूमि होकर चारागाह हेतु उपर्युक्त भूमि नही थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए उक्त आराजीयात को अन्य आराजीयात के साथ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर आदेश की पालना मे नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. विवादित आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है व अपीलान्ट के विरूद्ध नियमित रूप से नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जाती रही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात गलत रूप से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरनोट दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो गलत है। विवादित आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बगैर गलत रूप से आंवटित कर दी गयी जिसकी अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। अपील अपीलान्ट बिना किसी विलम्ब के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः अपील बहक अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ द्वारा मौजा बामनिया की आराजी नम्बर 208/197/7 रकबा 39 बीघा 5 बिस्वा मे से 7 बीघा के सम्बन्ध के पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16/04/2004 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि मौजा बामनिया की प्रश्तगत भूमि को लेकर पूर्व मे भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ मे अपील प्रस्तुत की गई थी तत्समय यह भूमि बिलानाम सरकार थी जिस पर अपीलान्ट का भूमिहीन होने के कारण कब्जा काश्त चला आ रहा था। जिसमे धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही तथा बेदखली के आदेश पारित हुआ जिसकी पहली अपील जिला कलेक्टर चित्तौडगढ के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जो खारीज हुई। जिसकी द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ न्यायालय मे विचाराधीन है। यह भूमि सेट अपार्ट करने के समय काबिल काश्त

थी जो आंवटन एवं नियमन योग्य है। ऐसी भूमि चारागाह के लिये आरक्षित नही की जा सकती है। केवल उबड़–खाबड़ एवं पथरीली भूमि जहां काश्त करना संभव नही है ऐसी भूमि चारागाह मे सेट अपार्ट की जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये चारागाह के रूप मे भूमि सेट अपार्ट करने की अभिशंषा कर दी गई है जो न्यायोचित नही है। इस प्रकरण मे धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार किया जावे तथा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अपील दायर करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि प्रश्नगत भूमि चारागाह है जिस पर अपीलान्ट का कब्जा साबित नही होता है। अपील देरी से पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील अपीलान्ट द्वारा ही की गई है जिन्हे निर्णय की पूर्ण जानकारी थी। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे यह जाहिर है कि राजस्व ग्राम बामनिया की प्रश्नतगत भूमि चारागाह श्रेणी की है जिसका न तो नियमन हो सकता है तथा न ही धारा 16 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण घोषणात्मक डिक्री की जा सकती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने तथा धारा 16 मे प्रतिबन्धित होने के कारण खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक/ राजस्व/ साप्रआ/ 12–6(7)04/629 मे पारित निर्णय दिनांक 16/04/2004 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ